

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा, जिला—चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या प्रार्थना पत्र. -92/2023

अनवान

केसर सिंह शेखावत पिता श्री भोपाल सिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी भीलवाडा जिला भीलवाडा राजस्थान।

.....प्रार्थी

विरुद्ध

1. राजस्थान राज्य सरकार जरिये भूमिधारी श्रीमान् तहसीलदार रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
2. मैसर्स सुपर शिव शक्ति कैमिकल्स प्रा.लि. स्थान श्रीपुरा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

.....विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 दी.प्र.संहिता

उपस्थित – श्री लालचन्द प्रजापत अभिभाषक प्रार्थी/प्रतिवादी
श्री प्रदीप कुमार बिल्लू अभिभाषक अप्रार्थी/वादी

निर्णय

दिनांक 29.01.2025

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रकरण संख्या 92/2023 केसर सिंह बनाम राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार रावतभाटा वगैरा अन्तर्गत धारा 128 रा.ले.रे. एक्ट में प्रकरण में सुनवाई के दौरान वकील प्रतिवादी/प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 दी.प्र.संहिता के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी ने न्यायालय श्रीमान में पत्थरगढी कराने हेतु आवेदन पेश किया है जिसमें मुझ प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 दिवानी प्रक्रिया संहिता का पेश किया, जो न्यायालय श्रीमान द्वारा स्वीकार कर हम प्रार्थी को प्रकरण में विपक्षी के रूप में संयोजित किया गया है। प्रार्थी मैसर्स सुपर शिव शक्ति कैमिकल्स प्रा.लि. श्रीपुरा के तत्कालीन डायरेक्टर प्रबंधक द्वारा ऋणी बैंक का ऋण अदा नहीं किये जाने पर ऋणी बैंक ने माननीय नेशनल कंपनी लॉ ट्रीब्यूनल जयपुर के यहां कार्यवाही की थी, जिसके नम्बर आईए नम्बर 41/जेपीआर/2021 है। दिनांक 29.04.2022 को निर्णय पारित हुआ है। उक्त निर्णय की पालना में हम प्रार्थीगण ने उक्त फ़ैक्ट्री चालू हालत में खरीद की है। ऋणी बैंक के द्वारा नियुक्त रिजलेशन प्लानर के आवेदन पर तहसीलदार रावतभाटा ने वादग्रस्त जमीन मैसर्स सुपर शिव शक्ति कैमिकल्स लि. के नाम करने के आदेश पारित कर दिये थे। प्रार्थी उक्त जमीन के खातेदार नहीं रहे थे। तहसीलदार रावतभाटा के आदेश के विरुद्ध प्रार्थी ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में रिट याचिका पेश की थी। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने तहसीलदार रावतभाटा के उक्त आदेश को स्थगित कर दिया था। प्रार्थी द्वारा माननीय नेशनल कंपनी लॉ ट्रीब्यूनल जयपुर के आदेश की पालना में फ़ैक्ट्री खरीदने के बाद माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेश की जानकारी होने पर मैसर्स सुपर शिव शक्ति कैमिकल्स प्रा.लि. श्रीपुरा द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की वृहद पीठ (डबल बैंच) में रिट पेश की थी। जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की वृहद पीठ (डबल बैंच) ने नये क्रेता को पक्षकार मानते हुए प्रकरण रिमांड किया है। वादग्रस्त जमीन के मालिकाना हक के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में रिट याचिका विचाराधीन है। अपर न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई कार्यवाही किया जाना न्यायोचित नहीं है। अंत में निवेदन किया गया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा प्रकरण में कार्यवाही स्थगित रखे जाने के आदेश प्रदान करें।

विपक्षी/वादी की ओर से जवाब में निवेदन किया गया कि प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 01 के कथन न्याय संगत होने से स्वीकार है। प्रार्थना पत्र 02 के समस्त कथन असत्य होकर अस्वीकार होकर जवाब है कि मैसर्स सुपरशिव शक्ति कैमिकल प्रा0 लि0



के पूर्व डायरेक्टर ने उक्त आराजीयात पर किसी भी प्रकार का ऋण नहीं ले रखा था, केवल मैसर्स सुपर शिव शक्ति कैमिकल्स प्रा0लि0 की बिल्डिंग एवं चालू मशीनरी पर ऋण था, जिस पर एन.सी.एल.टी. जयपुर के यहां कार्यवाही की गई तथा एन.सी.एल.टी. द्वारा अपने निर्णय में कहीं पर उक्त आराजीयात खसरा नम्बरों पर ऋण अथवा भार युक्त होने का कथन नहीं किया है तथा फ़ैक्ट्री के नवीन डायरेक्टर एन केन प्रकार से प्रार्थी की खाते की पर अवैध कब्जा करना चाहते हैं, क्योंकि फ़ैक्ट्री के नवीन डायरेक्टरों ने अन्य काश्तकारों, बिलानाम भूमि व वन विभाग की आराजीयात पर अवैधानिक रूप से उक्त फ़ैक्ट्री का संचालन कर रखा है, तथा ताकत व बल पर काश्तकारों को डरा धमकाकर व वन विभाग व बिलानाम आराजीयात पर अवैध कब्जा करना चाहते हैं, इसलिए भी प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 03 के समस्त कथन असत्य होने से अस्वीकार होकर जवाब है कि प्रार्थी ही अपने खाते की आराजीयात का एक मात्र खातेदार है, प्रार्थी केसर सिंह के अलावा दिगर किसी को भी प्रार्थी की खाते की आराजीयात पर हक व अधिकार प्राप्त नहीं है तथा फ़ैक्ट्री के नवीन डायरेक्टर ने पूर्व में प्रार्थी की आराजीयात में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करके ताकत व बल से दिवारों को नष्ट कर प्रार्थी को भारी नुकसान पहुंचाया है, जिसके लिए भी फ़ैक्ट्री के नवीन डायरेक्टर व अन्य के विरुद्ध थाना भैंसरोडगढ में एफ.आई.आर. नं. 0097/2023 धारा 447, 427, 379, 120 बी भा.दं. संहिता व एफ.आई.आर. संख्यास 004/2014 धारा 143, 447, 427, 504, 506, 120 बी में मुकदमा दर्ज करा रखा है जो जैर अनुसंधान है तथा फ़ैक्ट्री के डायरेक्टर देवी सिंह कच्छावा द्वारा अवैधानिक तरीके से ऐन केन प्रकार से उक्त फ़ैक्ट्री को अवैधानिक तरीके से संचालन के लिए उच्चाधिकारियों को प्रलोभन दिया गया, जिसके लिए सी.बी.आई. द्वारा कार्यवाही करते हुए फ़ैक्ट्री के डायरेक्टर देवीसिंह कच्छावा को रंगे हाथ रिश्वत देते हुए गिरफ्तार किया गया, जिसके प्रकरण एफ.आई.आर. संख्या आर.सी. 0282024ए0001 दिनांक 03.01.2024 थाना नागपुर में दर्ज किया गया है तथा उक्त फ़ैक्ट्री में सुरक्षा का ध्यान नहीं रखते हुए विस्फोट व जनहानी हो चुकी है, जो दर्ज रिकार्ड है तथा दिनांक 09.10.2023 की शाम को भी उक्त फ़ैक्ट्री में बिल्डिंग नं. 7 व परेसिंग नम्बर 01 में भारी विस्फोट हुआ, जिसमें भी भारी क्षति हुई है, जिसके बाद थाना भैंसरोडगढ द्वारा फ़ैक्ट्री संचालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसकी एफ.आई.आर. संख्या 0089/2023 धारा 286 आई.पी.सी. एवं धारा 9 (ख) विस्फोटक अधिनियम में दर्ज किया गया, फिर भी उक्त फ़ैक्ट्री के नियमों के विरुद्ध संचालित की जा रही है। प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 04 के समस्त कथन अस्वीकार होकर जवाब है कि एन.सी.एल.टी. द्वारा व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा कभी भी प्रार्थी के खाते की आराजीयात को दिगर के नाम पर ट्रांसफर किये जाने का कोई आदेश व निर्णय नहीं दिया गया है, इसलिए भी प्रार्थी के खाते की आराजीयात का स्वामित्व व आधिपत्य प्रार्थी को प्राप्त होने से प्रार्थी की खातेदारी की आराजीयात की पत्थरगढी कराये जाने का पूर्ण अधिकार है। प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 05 व 06 के समस्त कथन असत्य होकर जवाब है कि प्रार्थना पत्र में सदर आराजी पर फ़ैक्ट्री के नवीन संचालको एवं अधिकारियों द्वारा प्रार्थी की खाते की आराजी में अनाधिकृत रूप सं प्रवेश कर पत्थर की कोट को नुकसान कारित कर दिया है, आराजी पर अवैध कब्जा करने पर आमदा होने के कारण प्रार्थी की आराजी की पत्थरगढी कराया जाना न्यायोचित है. विपक्षी अकारण ही सदर प्रार्थना पत्र को लम्बा करने की नियत से उक्त धारा 10 का प्रार्थना पत्र पेश किया है, सदर प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात में पत्थरगढी को रोके जाने बाबत किसी भी प्रकार का कोई स्थगन आदेश माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा नहीं दिया गया है जबकि सदर प्रार्थना पत्र में शिघ्र सुनवाई करते हुए उक्त प्रार्थना पत्र को अविलम्ब 03 माह में निर्धारित पत्थरगढी का आदेश किया जाकर पत्थरगढी करने हेतु आदेश पारित किया है,। अंत में प्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षी सुपर शिव शक्ति प्रा.लि. की ओर से पेश धारा 10 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र सव्यय मय हर्जे खर्चे के खारिज फरमाया जाने का निवेदन किया है।

हमने प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी। वकील प्रतिवादी/प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 पक्षकार बनने का पेश किया जो स्वीकार हुआ। प्रार्थी मैसर्स सुपर शिव शक्ति कैमिकल्स प्रा.लि. श्रीपुरा के तत्कालीन डायरेक्टर प्रबंधक द्वारा ऋणी बैंक का ऋण अदा नहीं किये जाने पर ऋणी बैंक ने माननीय नेशनल कंपनी लॉ ट्रीब्यूनल जयपुर के



यहां कार्यवाही की थी, दिनांक 29.04.2022 को निर्णय पारित हुआ है। उक्त निर्णय की पालना में हम प्रार्थीगण ने उक्त फैक्ट्री चालू हालत में खरीद की है। वादग्रस्त जमीन के मालिकाना हक के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में रिट याचिका विचाराधीन है। अपर न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई कार्यवाही किया जाना न्यायोचित नहीं है। उक्त प्रकरण में कार्यवाही स्थगित करने हेतु निवेदन किया। इसके विपरीत वकील विपक्षी ने बहस में अपने जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए मैसर्स सुपरशिव शक्ति कैमिकल प्रा० लि० के पूर्व डायरेक्टर ने उक्त आराजीयात पर किसी भी प्रकार का ऋण नहीं ले रखा था, केवल मैसर्स सुपर शिव शक्ति कैमिकल्स प्रा०लि० की बिल्डिंग एवं चालू मशीनरी पर ऋण था, जिस पर एन.सी.एल.टी. जयपुर के यहां कार्यवाही की गई तथा एन.सी.एल.टी. द्वारा अपने निर्णय में कहीं पर उक्त आराजीयात खसरा नम्बरों पर ऋण अथवा भार युक्त होने का कथन नहीं किया है। प्रार्थी ही अपने खाते की आराजीयात का एक मात्र खातेदार है, प्रार्थी केसर सिंह के अलावा दिगर किसी को भी प्रार्थी की खाते की आराजीयात पर हक व अधिकार प्राप्त नहीं है। सदर प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात में पत्थरगढी को रोके जाने बावत किसी भी प्रकार का कोई स्थगन आदेश माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा नहीं दिया गया है जबकि सदर प्रार्थना पत्र में शिघ्र सुनवाई करते हुए उक्त प्रार्थना पत्र को अविलम्ब 03 माह में निर्धारित पत्थरगढी का आदेश किया जाकर पत्थरगढी करने हेतु आदेश पारित किया है। प्रतिवादी का आवेदन आधारहीन होकर प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रकरण में प्रतिवादी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 दी.प्र.संहिता के तहत प्रस्तुत कर वकील प्रतिवादी ने इस संबंध में विवादित आराजीयात के संबंध में इन्ही पक्षकारों के मध्य एवं इन्ही विवादित आराजीयात के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में विवादित आराजीयात के मालिकाना हक/स्वामित्व से संबंधित प्रकरण विचाराधीन होना बताया है। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि अप्रार्थी द्वारा शहादत सबूत के रूप में पत्रावली में शामिल माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की रिट याचिका संख्या 1044/2023 सुपर शिव शक्ति कैमिकल्स प्रा.लि. बनाम केसर सिंह वगैरा की प्रति व अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, जिससे अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा-10 दि.प्र.सं. के कथनों की पुष्टि होती है, चूंकि उक्त विवादग्रस्त भूमि के स्वामित्व के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जोधपुर में रिट संख्या 1044/2023 विचाराधीन है तथा उक्त भूमि पर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि की पत्थरगढी किए जाने से अनावश्यक विवाद उत्पन्न होने की प्रबल सम्भावना है, इसलिए विपक्षी संख्या 02 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 दिवानी प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

अतः विपक्षी संख्या 02 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-10 दिवानी प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाता है तथा उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट इसी स्टेज पर खारीज किया जाता है। प्रार्थी माननीय उच्च न्यायालय से निर्णय पारित होने के पश्चात पुनः पत्थरगढी किए जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र रहेगा। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 29.01.2025 को सुनाया गया।



(महेश गंगोरिया) आर.एस.
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़